जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 15.08.2024**

आज दिनांक 15.08.2024 को स्वतंत्रता दिवस की 78 वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा कैम्प कार्यालय पर राष्ट्रगान का गायन करते हुए ध्वजारोहण किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को शपथ दिलाई एवं मिष्ठान वितरित किया गया।

तदोपरान्त पुलिस अधीक्षक, शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन शामली स्थित क्वाटर गार्ड पर राष्ट्रध्वज का ध्वजारोहण कर सलामी दी एवं राष्ट्रगान गाकर अमर शहीद सपूतों को भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को शपथ दिलायी गयी एवं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर मिष्ठान वितरित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जारी सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र, प्रदान किये गये, इसी क्रम में उ0नि0 श्री भगवती प्रसाद उनियाल, उ0नि0 श्री कुल्दीप सिंह, है0का0 नितिन त्यागी, को रजत पदक मय प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अधिकारी/कर्मचारीगण को सराहनीय कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शामली, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी कैराना,क्षेत्राधिकारी थानाभवन व प्रतिसार निरीक्षक मौजूद रहे।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 15.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 09.08.2024 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.कासिम उर्फ कर्ण पुत्र आतिर निवासी गली नं 07 मुस्तफाबाद थाना खजूरी खास दिल्ली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 15.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शेखर पुत्र शेठपाल निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.का0 आदेश कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.का0 राजीव कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 15.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 09.08.2024 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.दीनमौहम्मद पुत्र जफर निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अमरदीप थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 मानवेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI